

amendments, time extensions etc. (if any) will be hosted on our website only. Please visit the site regularly.

S. Engineer (MM TCB)
E-mail : rakesh.lakshya@bhelbpl.co.in
Phone : 07562503462/9406903759
CPR-10(T)/128/16-17/MM-TCB

THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
(ORIGINAL JURISDICTION)
COMPANY PETITION NO. 465 OF 2016
CONNECTED WITH
COMPANY APPLICATION NO. (M) 56 OF 2016
IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 1956 (1 OF 1956)
SECTIONS 391 & 394
AND
IN THE MATTER OF SCHEME OF AMALGAMATION
AND
IN THE MATTER OF
STRATFORD ACADEMY LTD

FIITJEE LTD

PETITIONER/ TRANSFEROR COMPANY
AND

PETITIONER/ TRANSFEREE COMPANY

(Both the Companies are incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having their registered office at 29-A, ICES House, Sarvapuri Vihar, Kalu Sarai New Delhi-110 016)

ADVERTISEMENT OF PETITION

A Petition under sections 391(2) and 394 of the Companies Act, 1956, for obtaining sanction of the Hon'ble High Court of Delhi to a Scheme of Amalgamation of Stratford Academy Ltd with FIITJEE Ltd was presented by the Petitioners above named on 20th day of May, 2016 and was admitted on 24th day of May, 2016 and the said Petition is fixed for hearing before the Hon'ble High Court on 23rd day of September, 2016 at 10.30 A.M. Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address to the Advocates for the Petitioners so as to reach the Petitioners' Advocates not later than 5 days before the date fixed for hearing of the Petition. Where he seeks to oppose the Petition, the grounds of opposition and a copy of the affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Sd/- Sd/-
Rajeev K Goel & Ajay Garg
(Advocate) (Advocate)
Counsel for the Petitioners

Place: New Delhi

Date: 05.07.2016

785, Pocket-E, Mayapuri Vihar-II, NH-24, Delhi 110 031

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
ORIGINAL COMPANY JURISDICTION
COMPANY PETITION NO. 75 OF 2016
CONNECTED WITH
COMPANY APPLICATION (M) NO. 7 OF 2016

In the matter of
the Companies Act, 1956 (1 of 1956)

AND

In the matter of
Section 391 and 394 of the Companies Act, 1956

AND

In the matter of scheme of Amalgamation

OR

ACE SECURITIES PRIVATE LIMITED,

(Transferor Company : Petitioner Company No.1)

WITH

MANI COMPUSOFT PRIVATE LIMITED

(Transferee Company : Petitioner Company No.2)

(Both Transferor Company and Transferee Company are incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having their registered office at 405, Skylark Building-60, Nehru Place, New Delhi-110019.)

NOTICE

TAKE NOTICE that a Petition under section 391(2) and 394 of the Companies Act, 1956 for obtaining the sanction of the Hon'ble High Court of Delhi to a Scheme of Amalgamation of ACE SECURITIES PRIVATE LIMITED with MANI COMPUSOFT PRIVATE LIMITED was presented by the Petitioners above named 29th day of January, 2016 and was listed on 1st day of February, 2016 and the said petition is fixed for hearing before the Hon'ble Company Judge on the 29th day of July, 2016 at 10.30 A.M.

Any person desirous of supporting or opposing the said petition should send notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address to the Advocate for the Petitioners so as to reach the Petitioner's Advocate not later than 5 days before the date fixed for hearing of the Petition. Where he seeks to oppose the Petition, the grounds of opposition and a copy of the affidavit should be furnished with such notice. A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Amit Goel, Advocate
Goel & Associates
Corporate Lawyers & Consultants,
Advocates for the Petitioners
A-2, Navkunj Apartments
87, I.P. Extension, Delhi - 110002

Date: 16/06/2016

Place: New Delhi

In the register of members as on July 01, 2016 for seeking their consent on the Draft Special Resolution under regulation 8 (1) (b) of SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 for authorizing to the Board of Directors of the company to Delist the Securities of the Company from all the Stock Exchanges, where the shares of the company are presently listed. Members who have not received postal ballot forms may request for a duplicate copy to the company or alternatively download it from the website of the company i.e. www.mewarpolytex.com or from the websites of the stock exchange i.e. www.bseindia.com.

The company has also provided the facility of e-voting to its members. A member may exercise the rights to vote through either by e-voting or through postal ballot.

It should be noted that voting commence from July 06, 2016, Wednesday at 10.00 A.M. and ends on August 04, 2016, Thursday at 5.00 P.M. Fully completed postal ballot forms should reach scrutinizer on or before August 04, 2016, Thursday till 5.00 P.M. Postal ballot forms received after 5.00 P.M. of this date will be treated as invalid.

In case of any query/grievance connected with e-voting or postal ballot, members may approach M/s Ankit Consultancy Pvt. Ltd. having its office at 60, Electronic Complex, Pardeshipura, Indore, Madhya Pradesh-452010 (Registrar).

The results of the postal ballot would be announced on August 05, 2016, Friday at 5.00 P.M. at the registered office of the company and the same would also be available on website of the company i.e. www.mewarpolytex.com.

By Order of the Board
For MEWAR POLYTEX LIMITED

Sd/-

[B.H. Bapna]
Managing Director
DIN-00594590

Date : July 05, 2016

Place: Udaipur

Notice under section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (The Act)

Sr. No.	Name and Address(es) of Borrower(s) (A)	Loan amount (Rs.) (B)	Particulars of Mortgaged Property / Properties (C)	Outstanding amount (Rs.) (D)
1.	MR./MRS./M/S. 1. M S TRADERS (THROUGH PROPRIETOR) 2. PARUL KOHLI 3. SHIVANGI KOHLI 4. KIRAN KOHLI 5. SUDERSHAN KUMAR KOHLI All At: SHOP NO-17 LSC M-BLOCK VIKASPURI NEW DELHI-110018. All Also At: M-165 (PLOT NO.165, BLOCK-M), situated at VIKASPURI, NEW DELHI - 110018. All Also At: SHOP NO.17, GROUND-FLOOR, LSC, M-BLOCK, VIKAS PURI, NEW DELHI-110 018. 2. PARUL KOHLI 3. SHIVANGI KOHLI 4. KIRAN KOHLI 5. SUDERSHAN KUMAR KOHLI Also At: B-104, NARAINA VIHAR, NEW DELHI - 100028. Also At: F-106, SECOND FLOOR, VIKAS PURI, NEW DELHI - 110018.	Loan Account No. HLAPBHW00220593 for an amount of Rs. 2,49,00,000/- (Rupees Two Crore Forty Nine Lakh(s) Only)	M-165 (PLOT NO.165, BLOCK-M), situated at VIKASPURI, NEW DELHI - 110018.	Rs. 2,70,04,944/- (Rupees Two Crore Seventy Lakh(s) Four Thousand Nine Hundred Forty Four Only) as on 11.06.2016 along with future interest @ 12.50% Per Annum w.e.f. 12.06.2016 till actual date of payment.

That the above named borrower(s) have failed to maintain the financial discipline in loan account and as per the books of accounts maintained in the ordinary course of business by the Company, there exists an outstanding amount indicated in column D against the name of each borrower(s).

Due to persistent default in repayment of the Loan amount on the part of the Borrower(s) the loan account of the Borrower(s) has been classified by the Company as Non Performing Asset within the stipulated norms. Consequently notices under Sec. 13(2) of the Act were also issued to each of the borrower.

In view of the above, the Company hereby calls upon the above named Borrower(s) to discharge in full his/her liabilities towards the Company by making the payment of the entire outstanding dues indicated in Column D above including up to date interest, costs, and charges within 60 days from the date of publication of this notice, failing which, the Company shall be entitled to take possession of the Mortgaged Property mentioned in column C above and shall also take such other actions as is available to the Company in law.

That please be informed that the Borrower(s) are hereby restrained from alienating (including by way of transfer, sale, lease or otherwise) or creating third party interest or dealing with the Mortgaged Property in any manner except with specific prior written permission from Company. Be informed that any contravention thereof shall be punishable with imprisonment upto a period of one year or with fine or with both.

Place : DELHI

For Indiabulls Housing Finance Ltd.
Authorized Officer

CP. 75/07 2016

गलत गिरफ्तारी पर मुआवजे की याचिका खारिज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के अक्षरधाम आतंकी हमले के मामले में शीर्ष अदालत द्वारा बरी किए जा चुके छह लोगों की उस याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया जिसमें मांग की गई है कि उनकी गलत गिरफ्तारी के लिए मुआवजा दिया जाए। न्यायमूर्ति दीपक मिश्र और न्यायमूर्ति आर भानुमति की पीठ ने कहा कि अगर बरी किए गए लोगों को गलत तरह से गिरफ्तारी के लिए मुआवजे की मांग की जाती है, तो खतरनाक मेसाल बन जाएगी। बरी किए गए लोगों की तरफ से वरिष्ठ वकील कैटीएस तुलसी ने पीठ का मिजाज भांपने के बाद याचिका वापस ले ली। और कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण अभियोजन के लिए गुजरात पुलिस के खिलाफ मामला शुरू कर सकते हैं। इससे पहले गुजरात सरकार याचिका को

विरोध करते हुए कहा था कि हतोत्साहित करने वाला असर सूना जांच एजेंसियों पर गंभीर पड़ेगा।

समक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली
(मूल कम्पनी न्यायक्षेत्र)

कम्पनी याचिका संख्या 2016 का 75

जो कि संबंधित है

कम्पनी आवेदन संख्या 2016 का 7(एन) से

कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के

महले में और

कम्पनी अधिनियम, 1956 के धारा 391 एवं 394 के मामले में

और

1. संवर्धित प्राइवेट लिमिटेड

(हस्तांतरणकर्ता कम्पनी / याचिकाकर्ता कम्पनी सं 1)

एचएम

2. कम्प्यूसाइट प्राइवेट लिमिटेड

(हस्तांतरित कम्पनी / याचिकाकर्ता कम्पनी सं 2)

क एकीकरण योजना के मामले में

(जो हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरित कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 के प्राधान्य के अंतर्गत नियमित कम्पनी है और इनका पंजीकृत कार्यालय 406, स्कवाइलार्क बिल्डिंग-60, 8, क प्लेस, नई दिल्ली-110019, में स्थित है)

सूचना

सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धाराएँ 39 एवं 394 के तहत ऐसे संवर्धित प्राइवेट लिमिटेड एवं मनी कम्प्यूसाइट प्राइवेट लिमिटेड के एकीकरण की योजना के माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की स्वीकृति प्राप्ति हेतु उपरोक्त नामित याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 29.01.2016 को एक याचिका प्रस्तुत की गई और यह दिनांक 01.12.2016 को स्वीकृत की गई थी और यह याचिका दिनांक 29.07.2016 को पूर्वाहन 10.3 बजे माननीय कम्पनी न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित है।

उक्त याचिका के समर्थन या विरोध के इच्छुक कोई भी व्यक्ति अपने नाम और पते के साथ स्वयं या अपने अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित अपने आग्रह की सूचना याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को इस तरह से भेजें ताकि वह याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के पास याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम पांच (5) दिन पूर्व पहुँच जाए।

याचिका का विरोध करने के इच्छुक व्यक्ति अपने सूचना पत्र के साथ विरोध के कारणों और शपथपत्र की एक प्रति अवश्य भेजें। निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित करने पर याचिका की एक प्रति नियत शुल्क का भुगतान होने पर उपलब्ध कराया जाएगा।

हस्ता / -

अमित गोयल, अधिवक्ता

गोयल एण्ड एसोसिएट्स

कारपोरेट लॉयर्स एण्ड कंसल्टेंट्स

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता,

ए-42, नवकुंज अपार्टमेंट्स,

87, आई. पी. एक्सटेंशन, दिल्ली-110092

दिनांक: 16.06.2016

स्थान: नई दिल्ली

गुमशुदा की तलाश

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम नावल सिंह, पुत्र रिशाल सिंह, पता गांव पछरा, थाना तोनिका सिटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। जो 09.05.16 को थाना क्षेत्र शाहबाद डेयरी, दिल्ली से गुम है। इस बाबत डीडी नं. 16-ए दिनांक 28.05.16 थाना शाहबाद डेयरी, दिल्ली में दर्ज है। अनेक प्रयासों के बावजूद भी इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। ब्योरा इस प्रकार है: नाम: नावल सिंह, उम्र: 5 साल, कद: 5'5", रंग: सांवला, चेहरा: गोल, पहचान: जिसके दाहिने हाथ के अंगुष्ठ पर कटे का निशान है। जिसने आसमानी रंग की कमीज, काले रंग की पैंट और काले रंग की प्लास्टिक चप्पल पहन रखी है। अगर इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिले तो इसकी सूचना थाना शाहबाद डेयरी, दिल्ली को दें।



ईमेल: cio@cbi.gov.in

फैक्स नं. 011-24368639

फोन नं. 011-24368638, 24368641

DP/8466/OD/16

शाहबाद डेयरी, दिल्ली

फोन नं. 011-2782107, 27822207

थानाध्यक्ष

ओवरसीज बैंक

वसुंधरी शाखा प्रबंधन शाखा

गो राड, कोराल बाग, नई दिल्ली-110005

ई-मेल: -

2012 के नियम 8 (1) के अंतर्गत सूचना

के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय

प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002

2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13

के अंतर्गत सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

हस्ताक्षरित सूचना के अंतर्गत सूचना

बैंक ऑफ इंडिया

Bank of India



ए-6. मीरा बाग, पश्चिम विहार,

नई दिल्ली - 110 087

अधिनियम

13(4) के अन्तर्गत प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित धारा 8 के अंतर्गत

सांकेतिक कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्त परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकर्ता एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन बैंक ऑफ इंडिया, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 के अधिनियम 3) के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त लिखित कर्जदारों/गारन्टर्स/बंधककर्ता को एक मांग सूचना निम्नलिखित दिनांकों को जारी किया था जिसमें सूचना में कर्जदारों/गारन्टर्स/बंधककर्ता राशि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें उल्लेखित वित्त संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उल्लेखित वित्त संपत्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित दिनांकों को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों/गारन्टर्स/बंधककर्ताओं तथा जनसाधारण को एतद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन करने के लिए सावधान किया जाता है

तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन बैंक ऑफ इंडिया, ए-6, मीरा बाग शाखा, नई दिल्ली, के प्रभार बकाया राशि दिनांक 19.04.2016 तक

भविष्य का ब्याज, खर्च एवं अन्य प्रभार सहित के अधीन होगा।

कर्जदार के नाम

संपत्ति का विवरण

मांग सूचना तारीख

सांकेतिक कब्जा की तारीख

बकाया राशि (रु. में)

श्री संजय अरोड़ा

पुत्र स्व. श्री पूरन चंद अरोड़ा

प्लॉट नं. बीए 229/1, फा. तल, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली-110027

प्लॉट नं. बीए-228, दक्षिण में - प्लॉट नं. बीए-230, पूरब में - रोड, पश्चिम में - प्रवेश द्वार

19-04-2016

27-06-2016

₹ 2,92,98,499.17

दिनांक 19.04.2016 तक

साथ में भविष्य का ब्याज, खर्च और अन्य प्रभार इत्यादि सहित

श्री संजय अरोड़ा

पुत्र स्व. श्री पूरन चंद अरोड़ा

प्लॉट नं. बीए 229/2, प्रथम तल, (छत के अधिकार सहित), टैगोर गार्डन, नई दिल्ली-110027, चौडही : उत्तर में - प्लॉट नं. बीए-228, दक्षिण में - प्लॉट नं. बीए-230, पूरब में - रोड, पश्चिम में - प्रवेश द्वार

19-04-2016

27-06-2016

₹ 2,92,98,499.17

दिनांक 19.04.2016 तक

साथ में भविष्य का ब्याज, खर्च और अन्य प्रभार